RAPID FIRE करेंट अफेयर्स (15 नवंबर)

- **सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की राफेल पुनर्विचार याचिका:** चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं। न्यायालय में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। साथ ही 'लीक' दस्तावेज़ों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिये अपनी ओर से बातचीत की थी। न्यायालय में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा।
- **बड़ी बेंच को सौंपा गया सबरीमाला केस:** सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। न्यायालय इस बारे में गुरुवार को फैसला सुनाने वाला था लेकिन 5 जजों की बेंच ने कहा कि परंपराएँ धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक हों और आगे 7 जजों की बेंच इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी। साफ है कि फिलहाल मंदिर में न्यायालय के पुराने फैसले के मुताबिक महिलाओं का प्रवेश जारी रहेगा।
- **प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन:** प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन की खबर मिलते ही पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले कई सालों से वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने आंइस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। वशिष्ठ नारायण सिंह जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नजर उन पर पड़ी। प्रोफेसर कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना तथा उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया।
- **सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन:** महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिये वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने की स्वीकृति दे दी गई। सेना में महिलाओं के लिये एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा। अभी तक सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है। सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 वर्ष का होता है। वायुसेना में महिलाएँ पहले ही लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है।
- **छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज़:** छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों को 20 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं पहले से संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को पाँच लाख और अन्य परिवारों को सालभर में 50 हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि वे बीमारियाँ जो योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं या हितधारक का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे परिवारों के लिये वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-november-15